रजिस्ट्री सं. डी--(डी एन)--128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1990 (श्रावण 13, 1912)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1990 (SRAVANA 13, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	541
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	903
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	7
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	1237
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II- खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	757
भाग III--खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	851
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2285
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	109
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

* प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	541
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	903
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1237
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	757
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	851
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2285
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	109
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . . *	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1990

सं० 55-प्रेज/90—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहन सिंह (मरणोपरान्त)
कान्सटेबल/चालक (700200774),
ग्रुप केन्द्र,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
बन्तालब,
जम्मू।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

ग्रुप सेंटर के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बन्तालब, जम्मू में तैनात श्री मोहन सिंह, कान्सटेबल/ड्राइवर बन्तालब, दमन, जानीपुरा रास्ते पर पड़ने वाले विभिन्न स्कूलों में बच्चे पहुंचाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्कूल बस चलाते थे और बच्चे छोड़कर वापस आते थे।

6 मई, 1989 को विभिन्न संस्थानों में छात्रों को छोड़ने के बाद श्री मोहन सिंह ने अपनी बस न्यू लाइट अकादमी स्कूल जानीपुरा में खड़ी की। वे सवेरे के लगभग 9.50 बजे पैसे निकालने के लिए सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, गाधीनगर गये। उन्होंने लोहे की ग्रिल से होते हुए बैंक में प्रवेश किया और मुख्य द्वार के नजदीक बैंक के अन्दर रखी बैंक गार्ड की कुर्सी पर बैठ गये, क्योंकि उन्हें बैंक में लेन-देन का कार्य शुरू होने तक वहां इन्तजार करनी थी इसी बीच एक युवक बैंक में दाखिल हुआ और बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए प्रबंधक के पास गया। बैंक ड्राफ्ट तैयार नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश कर्मचारी छुट्टी पर थे। वह प्रवेश द्वार की तरफ आया लेकिन बाहर जाने के बजाय उसने द्वार पर अनुकूल स्थान पर मोर्चा संभाला और एक अन्य जवान व्यक्ति को, जो नजदीक ही प्रतीक्षा कर रहा था, अन्दर जाने का इशारा किया। उसके इशारे पर दूसरा युवक द्वार के नजदीक पहुंचा जिसके हाथ में ए०के० .47 असौल्ट राइफल थी। राइफल वाले युवा व्यक्ति ने गेट के भीतर जबरन जाने का प्रयास किया। श्री मोहन को कुछ संदेह हुआ, इसलिए उसने ग्रिल रोक ली। उसने राइफल वाले युवक को बैंक परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। श्री मोहन को राइफल से न केवल पीछे धकेला गया अपितु उसे गम्भीर परिणामों की भी धमकी दी गई। उनके मध्य हाथापाई हो गई। दोनों युवक अदर दाखिल होने में सफल हो गये लेकिन श्री मोहन सिंह में उनका मुकाबला करने की सामर्थ्य थी और उसने राइफल पकड़ ली और उसे ऊपर की ओर उठा लिया। हाथापाई कुछ समय तक जारी रही लेकिन दोनों युवक श्री मोहन सिंह से राइफल छीनने में कामयाब नहीं हुए। इसी बीच, तीसरा साथी जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, आया और उसने द्वार के नजदीक मोर्चा संभाला और नजदीक से अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जो मोहन सिंह की पीठ पर लगी। घातक रूप से जख्मी होने और खून बहने के कारण उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

मुख्य रुकावट दूर होने के बाद बदमाशों ने राइफल और पिस्तौल से गोली चलाई, जिसने सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक श्री पी०आर० नन्दा और श्री कपूर सिंह और श्री देश राज नामक दो बैंक क्लर्क जख्मी हुए। श्री नन्दा की भी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। इसके बाद बैंक प्रबंधक ने खतरे की घंटी बजायी। कड़ा मुकाबला होने और खतरे की घंटी बजने के कारण युवकों ने बैंक को लूटने की अपनी योजना त्याग दी और दुपहिए स्कूटर में सतवारी की तरफ भाग गए।

इस मुठभेड़ में श्री मोहन सिंह, कान्सटेबल/ड्राइवर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1989 से दिया जाएगा।

सं॰ 56-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आसिन खान (मरणोपरान्त)
कान्सटेबल सं॰ 800440081,
44 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13 जनवरी, 1989 की रात को एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 44वीं बटालियन का एक गश्ती दल गांव—भकनाकलां अमृतसर में गश्त लगा रहा था। जब पुलिस दल भकनाकलां गांव में एक संकरी गली से गुजर रहा था तो लगभग रात के 11 बजे कान्सटेबल आसिन खान ने, जो दल के आगे-आगे जा रहा था, नजदीक के एक मकान के दरवाजे के समीप एक मनुष्य आकृति खड़ी देखी। इस संदेह में कि वह उसी मकान का निवासी है, कान्स्टेबल आसिन खान ने उसको अपना हाथ उठाने के लिए ललकारा लेकिन संदिग्ध व्यक्ति ने गोली चलानी शुरू कर दी। श्री आसिन खान गम्भीर रूप से जख्मी हो गये लेकिन जख्मों के बावजूद उन्होंने अपनी राइफल से गोली चलाई, जिससे आतंकवादी बाल-बाल बच गया क्योंकि वह भागने के लिए दीवार की दूसरी ओर कूद पड़ा। गोली दूसरी दिशा से भी चल रही थी, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। पुलिस दल ने भी बदले में आतंकवादियों की ओर गोली चलाई। बहुत अधिक कोहरा होने के कारण बहुत कम दिखाई दे रहा था, इसलिए आतंकवादी वहां से भाग गए कान्सटेबल आसिन खान को तत्काल एस॰जी॰टी॰बी॰ अस्पताल, अमृतसर ले जाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। दोनों ओर से गोलियां चलने के कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन अन्य कार्मिक घायल हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री आसिन खान, कान्सटेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 13 जनवरी, 1989 से दिया जाएगा।

सं॰ 57-प्रेस-90—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री राज देव राय (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
बलिया,
उत्तर प्रदेश।

श्री राधे श्याम राय,
कान्सटेबल सं॰ 670,
सिविल पुलिस,
बलिया,
उत्तर प्रदेश।

श्री सुभाष चन्द्र उपाध्याय,
कान्सटेबल सं॰ 518,
सिविल पुलिस,
बलिया,
उत्तर प्रदेश।

श्री निर्मल कुमार सिंह,
कान्सटेबल सं॰ 195,
सिविल पुलिस,
बलिया,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 मार्च, 1986 को, जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) केमनियार थाने में तैनात श्री राज देव राय, पुलिस उप-निरीक्षक, श्री निर्मल कुमार सिंह, श्री सुभाष चन्द्र उपाध्याय और श्री राधे श्याम, कान्सटेबलों सहित एक हत्या के मामले में वांछित एक अपराधी की तलाश में थे। जब उक्त पार्टी पट्टार गांव पहुंची, तो उन्होंने डकैत बली राम पान्डेय को अपने दल के साथ सामने से आते हुए देखा। डकैत बली राम पान्डेय को पहचानने के बाद श्री राज देव राय ने, यद्यपि वे निहत्थे थे, डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। इसके उत्तर में उस दल के नेता ने पुलिस दल पर गोली चलाई, जिससे उपनिरीक्षक राज देव राय जख्मी हो गये। श्री राज देव राय ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और शेष तीन कान्सटेबलों को डकैतों का पीछा करने के लिए उत्साहित किया। लगभग 3 किलो मीटर तक डकैतों का पीछा करने के बाद तीनों कान्सटेबल सिवान (बिहार) में पहुंचे और वहां वे तीनों डकैतों को मारने में सफल हो गए। इसी बीच बुरी तरह जख्मी पुलिस उप-निरीक्षक श्री राज देव राय, घटनास्थल पर ही दम तोड़ चुके थे।

इस मुठभेड़ में श्री राज देव राय, पुलिस उप-निरीक्षक, श्री राधे श्याम राय, श्री सुभाष चन्द्र उपाध्याय और श्री निर्मल कुमार सिंह, कान्सटेबलो ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मार्च, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 58-प्रेज/90—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री सच्चिदानन्द मिश्रा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना रातु,
रांची,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4 अगस्त, 1988 को थाना इतकी के अन्तर्गत इतकी सेनेटोरियम में एक लाख रुपये का डाका पड़ने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस उप-निरीक्षक श्री सच्चिदानन्द मिश्रा, थाना रातु के प्रभारी अन्य तीन पुलिस कार्मिकों सहित इतकी की ओर रवाना हुए। शाम 7.30 बजे के करीब ग्राम हिसरी में पहुंचने पर अधिकारी को यह सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी रहमत अंसारी नामक व्यक्ति के घर में छुपे हुए हैं तथा घर के अन्दर से उन्होंने तीन-चार बार गोलियां चलाईं और बम विस्फोट किए। श्री मिश्रा ने अपराधियों से आत्मसमर्पण करने को कहा परन्तु उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाए गोलियां चलानी आरम्भ कर दी। एक गोली श्री मिश्रा की दाईं जांघ में लगी, जिससे उनकी जांघ जख्मी हो गयी। चोट की परवाह न करते हुए तथा बड़े साहस के साथ श्री मिश्रा ने दो सहायक उप-निरीक्षकों सहित मकान में प्रवेश किया। अपराधियों ने उन अधिकारियों पर तत्काल दो गोलियां चलाईं। अन्य कोई विकल्प न देखते हुए, श्री मिश्रा ने अपने सर्विस रिवाल्वर से दो राउण्ड गोलियां चलाईं, जिससे अपराधी इसराईल अंसारी की छाती में चोट लगी और बरकू अंसारी की बाईं जांघ में चोट लगी, जिससे वे वहीं गिर पड़े। इस बीच, अन्य तीन अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनकी अलीमउद्दीन अंसारी, मोओी अंसारी और शराफत अंसारी के रूप में पहचान की गई। श्री मिश्रा ने ग्राम हिसरी, बेजपुर के सरपंचों को बुलवाया और उनकी उपस्थिति में अपराधियों की तलाशी ली। तलाशी लेने पर अपराधियों के पास से बिना चले/खाली कारतूसों सहित एक देशी पिस्तौल, एक खाली थैला, जिसमें 84,282 रुपये और 12 बोर के बिना चले कारतूस, एक प्लास्टिक के थैले में बिना चले दो बम, एक पिस्तौल, और दो हाथ की घड़ियां थी, बरामद हुईं। उसके बाद श्री मिश्रा अपराधियों को लेकर घर से बाहर आए। तब तक वहां गांव वाले इकट्ठा हो गए और वे जोर-जोर से कहने लगे कि केवल अपराधियों की गिरफ्तारी ही समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपराधियों को घटना स्थल पर ही सजा मिलनी चाहिए। जनता उत्तेजित हो गई और उन्होंने अपराधियों को पीटना आरम्भ कर दिया। परन्तु श्री मिश्रा ने अन्य अधिकारियों के सहयोग से भीड़ को शांत किया परन्तु इस बीच अपराधी घायल हो चुके थे तथा अभियुक्त इसराईल अंसारी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। हाथापाई के दौरान, एक सहायक उप-निरीक्षक को भी चोटें लगीं। इस दौरान, थाना इतकी के उप-निरीक्षक वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि इतकी में गिरफ्तार किये गए साफू अन्सारी नामक एक अपराधी ने अन्य अपराधियों के नाम बता दिए हैं तथा थाना इतकी में एक मामला दर्ज किया जा चुका है।

इस मुठभेड़ में श्री सच्चिदानन्द मिश्रा, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 अगस्त, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 59-प्रेज/90—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री शरद बापू जाधव,
पुलिस उप-निरीक्षक,
बृहत बम्बई,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

20 अप्रैल, 1988 को थाना गोरेगांव में सूचना प्राप्त हुई कि एक फरार अभियुक्त शशि भास्कर कोटेकर, अपने साथियों के साथ हिसार नदी पुल के समीप छिपा हुआ है। एक दल जिसमें एक निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक,

1 नायक और 1 कांस्टेबल (चालक) (पुलिस उप निरीक्षक, शरद बापू जाधव सहित), थे, अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके छिपने के स्थान के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंच कर पुलिस दल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया गया। एक नायक, और एक कांस्टेबल (चालक) सहित उप निरीक्षक जाधव के नेतृत्व में एक दल छिपने के स्थान की ओर गया। श्री नाथ भवन के समीप पहुंचने पर श्री जाधव और उनके दल ने देखा कि तीन व्यक्ति कम्पाउन्ड में खड़े हैं और एक व्यक्ति कुछ दूरी पर मुड़ा हुआ है। पुलिस नायक ने अपराधी कोटेकर को पहचान लिया। श्री जाधव उनकी ओर आगे बढ़े और उनसे आत्म-समर्पण करने के लिए कहा तथा उनसे यह भी कहा कि पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया है। यह सुनने पर एक अपराधी ने, जो पुलिस दल के नजदीक था, एकाएक मुड़ा और शशि की ओर बढ़ रहे श्री जाधव पर गंडासे से वार कर दिया। यद्यपि श्री जाधव ने वार से बचने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके पेट में चोट लग गयी। अपने जीवन को खतरे में पाकर श्री जाधव ने तुरंत अपनी सर्विस रिवाल्वर निकाली। यह देखकर हमलावर ने अपना गंडासा फेंक दिया और अहाते की दीवार की ओर भाग गया। इसी बीच अपराधी शशि ने अपनी रिवाल्वर निकाली और पुलिस दल पर गोली चला दी। सौभाग्य से कोई जख्मी नहीं हुआ। जब श्री जाधव ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से एक राउंड गोली चलाई तो अपराधी शशि एक बड़े पेड़ के पीछे मोर्चा लेने के विचार से पेड़ की ओर भागा। श्री जाधव ने अपराधी पर एक के बाद एक जल्दी-जल्दी तीन राउंड गोलियां चलाई। गोलाबारी में अपराधी शशि जख्मी हो गया और पेड़ के समीप नीचे गिर गया और उसके साथी भाग गये। श्री जाधव अपराधी के समीप गये और उसके हाथ से रिवाल्वर छीन ली तथा उसे बोरीवली के भगवती अस्पताल में ले जाया गया, जहां जख्मों के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। श्री जाधव के पेट में लगे घावों का भी अस्पताल में इलाज किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री शरद बापू जाधव, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 अप्रैल, 1988 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 1990

सं० /11017/690/-सी एस आर—अन्तर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 के खण्ड 2(ख) के उपबंधों के अधीन, प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री परिषद के निम्नलिखित सदस्य अन्तर-राज्य परिषद के सदस्यों के रूप में नामित किया है :—

1. श्री देवी लाल,
   उप प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री।
2. प्रो० मधु दंडवते,
   वित्त मन्त्री।
3. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद,
   गृह मन्त्री।
4. श्री अजीत सिंह,
   उद्योग मन्त्री।
5. श्री अरुण कुमार नेहरू,
   वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री।
6. श्री आई० के० गुजराल,
   विदेश मंत्री।

अजय चौधरी,
उप सचिव

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जुलाई 1990

सं० 1/1/89-समिति—जन साधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने श्री एस०एल० खोसला को दिनांक 27-6-1990 से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआइआर) की शासी निकाय के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। यह मनोनयन श्री एस०पी० वाही के दिनांक 15-12-1989 से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष पद के त्याग पत्र के स्थान पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की पुनर्गठित शासी निकाय की शेष अवधि के लिए किया गया है, पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारतीय राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/1/1989-समिति, दिनांक 17 जनवरी, 1989 देखें। उक्त शासी निकाय के सदस्य होने के नाते वे सीएसआइआर सोसाइटी के भी सदस्य होंगे।

उमेश सैगल,
संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1990

संकल्प

सं० 3/8/89-भूजल—केन्द्रीय भूजल बोर्ड के कार्यों की पुनरीक्षा के लिए 11 सितम्बर, 1989 एवं 26-2-1990 के संकल्प संख्या 3/8/89-भूजल के तहत् गठित उच्च स्तरीय बहु-विषयक समिति का कार्यकाल 31-7-1990 तक बढ़ाया जाता है।

समिति के विचारार्थ विषय पूर्ववत् रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अभय प्रकाश,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th July 1990

No. 55-Pres/90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Mohan Singh

Constable/Driver,(No. 700200774),

Group Centre, Central Reserve Police Force,

Bantalab, Jammu.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Shri Mohan Singh, Constable/Driver attached to Group Centre, Central Reserve Police Force, Bantalab, Jammu was driving CRPF School Bus to various schools on route Bantalab, Daman, Janipura and back.

On the 6th May, 1989, after dropping the students in various institutions, Shri Mohan Singh kept his bus at New Light Academy School, Janipura. At about 0950 hours he went to Central Bank of India, Gandhinagar to withdraw money. He entered the Bank through the iron grill and occupied the chair of the Bank Guard inside the Bank near the main entrance, as he had to wait for the bank transactions to start. In the meantime, one youth entered the bank and went to the Manager to prepare a Bank Draft. The Bank Draft could not be prepared as most of the staff was on leave. He come towards the entrance, but instead of going out he positioned himself on the vantage point at the gate and signalled another youngman waiting close-by, to come in. On his signal, the other youngman reached near the gate, who was having an AK-47 Assault Rifle in his hand. The youngman with the rifle tried to force his entry inside the gate. As Shri Mohan Singh smelt some foul play he held the grill. He did not allow the youth with rifle to enter the bank premises. Shri Mohan Singh was not only pushed with rifle but was also threatened with dire consequences. A scuffle started between them. Both the youths succeeded in getting entry but Shri Mohan Singh was able to hold the ground and caught hold of the rifle and lifted it upwards. The scuffle continued for sometime but both the youths could not succeed in snatching the rifle from Shri Mohan Singh. In the meantime, the third accomplice, who was awaiting outside, came and positioned himself near the gate and fired from his pistol from close range, which hit Shri Mohan Singh on the bank. As a result of fatal injury and loss of blood he died on the spot.

Once the main resistance was over, the insurgents fired with rifle and pistol, causing bullet injuries to Shri P. R. Nanda, a Retired Principal and two bank clerks Shri Kapoor Singh and Shri Desh Raj. Shri Nanda also died on the spot. The bank Manager subsequently raised the bank alarm. Due to tough resistance and sounding of alarm, the youths abandoned their plan to loot the bank and ran away towards Satwari on a two wheeler.

In this encounter, Shri Mohan Singh, Constable/Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th May, 1989.

No. 56-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Asin Khan (Posthumous)

Constable No. 800440081,

44 Battalion,

Central Reserve Police Force

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the night of 13th January, 1989, a patrol party of 44 Battalion of Central Reserve Police Force, under the command of a Sub-Inspector, was patrolling the Village Bhakna Kalan, Amritsar. While the police party was passing through a narrow lane at village Bhakna Kalan, at about 2300 hours, Constable Asin Khan, who was leading the party, spotted a human figure standing beside the door of a near-by house. Constable Asin Khan challenged him to raise his hands, suspecting him to be an inmate of that house. The suspected person started firing with the result that Shri Asin Khan was severely injured, but inspite of injuries, Shri Asin Khan fired from his rifle, which narrowly missed the terrorist as the terrorist jumped towards the other side of the wall to escape. Firing also came from other directions, where the terrorists were hiding. Police party also opened fire in retaliation towards the terrorists. As the visibility was very poor because of thick fog, the terrorists had made good their escape. Constable Asin Khan was immediately rushed to S.G.T.B. Hospita, Amritsar but he succumbed to his injuries on the way. In the exchange of fire three other CRPF personnel received bullet injuries.

In this encounter, Shri Asin Khan, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th January, 1989.

No. 57-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Raj Deo Rai (Posthumous)
Sub-Inspector of Police,
Civil Police,
Ballia,
Uttar Pradesh.

Shri Radhey Shyam Rai,
Constable No. 670,
Civil Police,
Ballia,
Uttar Pradesh.

Shri Subhash Chandra Upadhyay,
Constable No. 518,
Civil Police,
Ballia,
Uttar Pradesh.

Shri Nirmal Kumar Singh,
Constable No. 195,
Civil Police,
Ballia,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 18th March, 1986, Shri Raj Deo Rai, Sub-Inspector of Police, alongwith Shri Nirmal Kumar Singh, Shri Subhash Chandra Upadhyay and Shri Radhey Shyam Rai, Constables, who were posted at Police Station Maniar of District Ballia (UP), were in search of an accused wanted in a murder case. When the party reached village Pattar, they saw dacoit Bali Ram Pandey with his gang coming towards them from opposite direction. After recognising dacoit Bali Ram Pandey, Shri Raj Deo Rai, though unarmed, challenged the dacoits to surrender. In response, the gang leader fired at the Police Party injuring Sub-Inspector Raj Deo Rai. Shri Rai did not lose his presence of mind and encouraged the remaining three constables to chase the dacoits. After chasing the dacoits for about 3 kilometers, the constables reached Siwan (in Bihar) and managed to kill three dacoits. In the meantime, Shri Raj Deo Rai, Sub-Inspector of Police, who was injured had succumbed to his injuries on the spot.

In this encounter Shri Raj Deo Rai, Sub-Inspector of Police, Shri Radhey Shyam Rai, Constable, Shri Subhash Chandra Upadhyay, Constable and Shri Nirmal Kumar Singh, Constable, displayed conspiocuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th March, 1986

No. 58-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Sachchida Nand Mishra,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Ratu,
Ranchi,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 4th August, 1988, on receipt of an information about a serious dacoity at Itki Sanatorium, Police Station Itki in which Rupees one lakh were looted. Shri Sachchida Nand Mishra, Sub-Inspector of Police, Incharge Police Station Ratu, alongwith three other Police personnel, rushed for Itki. On reaching villlage Hisri, at about 1930 hours, the officer got information that the criminals were hiding in the house of Shri Rahmat Ansari and they had fired three-four times and exploded bombs from inside the house. Shri Mishra asked the criminals to surrender but instead they started firing. One of the shots hit Shri Mishra injuring his right thigh. Unmindful of the injuries, Shri Mishra with great courage, entered the house alongwith two Assistant Sub-Inspectors. The criminals immediately fired two shots towards the officers. Having no other alternative, Shri Mishra fired 2 rounds from his service revolver, injuring two criminals—Israil Ansari on his chest and Charku Ansari on left thigh and they fell down. Meanwhile, other three criminals surrendered who were identified as Alimuddin Ansari, Modi Ansari and Sarfat Ansari. Shri Mishra called the Sarpanches of Villages Hisri, Bejpur and Bajpur and searched the culprits in their presence. On search one country made pistol with live/fired cartridges, one khaki bag containing Rs. 84,282/-, one 12 bore live cartridges, two live bombs in a plastic bag, one pistol, and two wrist watches were recovered from the criminals. Thereafter Shri Mishra came out of the house with the criminals. By then the villagers had gathered and shouted that only arrest by police is no remedy; the criminals should get their dues at the spot itself. The public got furious and started assaulting the criminals. But Shri Mishra, with the help of other officers, succeeded in pacifying the crowed but in the meanwhile the criminals had sustained injuries and the accused Israil Ansari breathed his last on the spot. In the scuffle one Assistant Sub-Inspector also sustained injuries. Meanwhile, Sub-Inspector of Police Station Itki arrived there and informed that one of the criminals namely; Safu Ansari who was caught at Itki had divulged the names of the criminals and a case had already been registered at the Police Station Itki.

In this encounter Shri Sachchida Nand Mishra, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th August, 1988

No. 59-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Sharad Bapu Jadhav,
Sub-Inspector of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 20th April, 1988, information was received at Police Station Goregaon that an absconding accused Shashi Bhaskar Kotekar alongwith his associates has taken shelter near Dahisar River Bridge. A team consisting of one Inspector, 4 Sub-Inspectors, 1 Naib and 1 Constable/Driver (including Sub-Inspector Sharad Bapu Jadhav) left for the place of hiding to arrest the criminals. On reaching there, the police party was divided into three groups. One group led by Sub-Inspector Jadhav with one Naik and one Constable/driver, proceeded towards the place of hiding. On reaching near Shrinath Bhavan, Shri Jadhav and his party noticed three persons standing near the compound and one person at a little distance. Police Naik recognised the criminal Kotekar. Shri Jadhav advanced towards them and asked them to surrender and also told them that the police had surrounded the area. On hearing this, one of the criminals who was close to the Police party suddenly turned and attacked Shri Jadhav with chopper, who was advancing towards Shashi. Although Shri Jadhav tried to avoid the blow, but he sustained injury on his stomach. Sensing danger to his life, Shri Jadhav immediately pulled out his service revolver. On seeing this the assailant threw his chopper and ran towards the compound wall of the building. Meanwhile, criminal Shashi took out his revolver and fired towards the police party. Forutnately no one was injured. When Shri Jadhav fired one round from his service revolver, the criminal Shashi ran towards a big tree with a view to take position behind it. Shri Jadhav immediately fired three rounds in quick succession on the criminal. In the firing the criminal Shashi got injured and fell down near the tree and his associates ran away. Shri Jadhav went near the criminal and snatched the revolver from his hands and removed him to Bhagwati Hospital at Borivali, where he later succumbed to his injuries. Shri Jadhav was also treated in the hospital for the injury be sustained on his abdomen.

In this encounter Shri Sharad Bapu Jadhav, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th April, 1988

A. K. UPADHYAY, Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th July 1990

No. IV/11017/6/90-CSR.—Under the provisions of Clause 2(d) of the Inter-State Council Order, 1990, the Prime Minister has nominated the undermentioned Members of Union Council of Ministers as Members of the Inter-State Council :—

1. Shri Devi Lal,
   Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture.
2. Prof. Madhu Dandavate,
   Minister of Finance.
3. Shri Mufti Mohammed Sayeed,
   Minister of Home Affairs.
4. Shri Ajit Singh,
   Minister of Industry
5. Shri Arun Kumar Nehru,
   Minister of Commerce and Tourism.
6. Shri I. K. Gujral,
   Minister of External Affairs.

AJOY CHAUDHURI, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-1, the 5th July 1990

No. 1/1/89-CTE.—It is notified for general information that the Government of India have nominated Shri S. L. Khosla, Chairman, Oil & Natural Gas Commission as Member w.e.f. 27-6-90 in place of Col. S. P. Wahi, who has relinquished the charge of Chairman, ONGC w.e.f. 15-12-89, on the Governing Body of the CSIR for the duration of the remaining period of its reconstitution, vide Notification No. 1/1/89-CTE, dated 17th January, 1989 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India. By virtue of his being a member of the Governing Body, he will also be a member of the Society of CSIR.

OMESH SAIGAL, Jt. Secy.,

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 27th June 1990

RESOLUTION

No. 3/8/89-GW.—The term of the High Level Multi-Disciplinary Committee, set up vide Resolution No. 3/8/89-GW, dated the 11th September, 1989 and 26-2-1990, to review the functioning of the Central Ground Water Board is further extended upto 31-7-1990.

The terms of reference of the Committee would remain unchanged

ORDER

ORDERED that the above Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

ABHAY PRAKASH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990